आयोजनागत- राज्य सेक्टर

संख्या-**4/3344/चौदह-4-2014-526/2013**

प्रेषक,

शहजादे लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वन अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, 25 अगस्त , 2014

विषय: वित्तीय वर्ष-2014-15 में जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लॉयन सफारी पार्क का विकास योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-275/36-टी-77 दिनांक 19.08.2014 तथा प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-160/7-4 (लायन सफारी) दिनांक 11अगस्त, 2014 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान संख्या-60- के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लॉयन सफारी पार्कस का विकास योजना हेतु आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 200285 हजार व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत के सापेक्ष लेखानुदान के माध्यम से धनराशि रू0 66193 हजार शासनादेश सं0-1390/चौदह-4-2014-526/2013 दिनांक 12 मई, 2014 तथा शासनादेश सं0-1999/चौदह-4-2014-526/2013 दिनांक 27 जून, 2014 में धनराशि रू0 569 हजार कुल धनराशि रू0 66762 हजार की स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त अवषेश धनराशि रू0 103523 हजार (रू0 दस करोड़ पैंतीस लाख तेईस हजार मात्र) निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

योजना का नाम/लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 हजार में)	
अनुदान संख्या-60		
राजस्व लेखा		
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत		
02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव		
110-वन्य जीव परिरक्षण		
12-जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लॉयन सफारी पार्क का विकास-		
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र		1139
39-औषधि तथा रसायन		100
42-अन्य व्यय		21473
योग राजस्व लेखा		**22712**

http://bhasangadesh.up.nic.in

पूँजीलेखा-		
4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत		
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-		
110-वन्य जीव-		
06-जनपवद-इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लॉयन सफारी पार्क का विकास-		
24-वृहत निर्माण कार्य		80311
29- अनुरक्षण		500
		80811
कुल योग-		103523

(दस करोड पैंतीस लाख तेईस हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आंगणन के अनुसार कराये जायेंगे तथा समस्त वैधानिक अनुमति संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उललेखनीय परिवर्तन जेसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि, इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रॉक-70/7-4 (लायन सफारी) दिनांक 25.04.2014 में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जायेगा।

4- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/ सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5- केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

http://dhasanbadesh.up.nic.in

6- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा। प्रमुख वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगें कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दिवरावृत्ति न हो।

7- व्यय को निर्धारित मानको के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

8- प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष साख-सीमा निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव

संख्या-3344(1)/चौदह-4-2014-526/2013 तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं क़षि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक)
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9- वन अनुभाग-1/2/3/5
10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव।

http://srnasanadesh.up.nic.in